



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 758 राँची, बुधवार

29 अग्रहायण, 1945 (श०)

20 दिसम्बर, 2023 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

आदेश

7 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/जी०-103/2023-5833--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के O.M No.-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक-13.03.2023 एवं परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-III (पेंशन), दिनांक-13.07.2023 के द्वारा अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) के अधिसूचित होने के तिथि (22.12.2023) के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित अधिसूचित पद/रिक्ति के विरुद्ध हुई है तथा जो एन०पी०एस० से अच्छादित है, को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्युसह-सेवानिवृत्त लाभ) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना हेतु दिनांक 30.11.2023 तक विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है ।

2. अतः कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त परिपत्र में निहित शर्तों को पूर्ण करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 के बाद हुई है, को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्युसह-सेवानिवृत्त लाभ) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का अच्छादन प्रदान करते हुये उसके सभी अनवर्ती लाभ अनुमान्य किये जाते हैं:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	भा०पु०से० में आवंटित बैच	सिविल सेवा से संबंधित अधिसूचना की तिथि	भा०पु०से० में योगदान की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1.	श्री होमकार अमोल विनूकांत	2004	07.12.2002	06.09.2004	पुलिस महानिरीक्ष (अभियान), झारखण्ड, राँची।
2.	श्री कुलदीप द्विवेद्वी	2005	29.11.2003	22.08.2005	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पुलिस उप-महानिरीक्षक, सी०बी०आई०, डी०एस०पी०ई०, हेड ऑफिस, नई दिल्ली
3.	श्री पंकज कम्बोज	2005	29.11.2003	22.08.2005	पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची।
4.	श्री अभिषेक	2005	29.11.2003	22.08.2005	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति उप निदेशक, आई०बी०
5.	श्री असीम विक्रान्त मिंज	2005	29.11.2003	22.08.2005	पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग झारखण्ड, राँची।

3. जिन पदाधिकारियों को पूर्व से जी०पी०एफ० संख्या आवंटित है, उन्हें पुनः जी०पी०एफ० संख्या आवंटित नहीं की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।
